इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 10 अंक : 1 अगस्त, 2017 पृष्ठों की संख्या 15

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ ----------4
विनियामकों के कथन ---------- 5
बीमा ----------6
नयी नियुक्तियाँ ---------- 7
उत्पाद एवं गठजोड़ ---------- 7
विदेशी मुद्रा ----------7
शब्दावली ----------8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- 8
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------9
संस्थान समाचार ---------- 9
नयी पहलकदमी ----------12
बाजार की खबरें ----------13

इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने लेखा-परीक्षकों के लिए 'विराम अवधि' बढ़ाकर 6 वर्ष की

वर्तमान नियमों के अनुसार सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति चार वर्षों की अवधि हेतु की जानी है और उसके बाद दो वर्षों का विराम होना चाहिए। अब, केंद्रीय बैंक ने इस विराम अवधि को कम से कम 6 वर्ष तक बढ़ा दिया है। बैंकों द्वारा इस नीति का अक्षरश: पालन संभव बनाने के लिए केंद्रीय बैंक ने कहा है कि किसी बैंक में अपना चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद कोई लेखा-परीक्षक 6 वर्ष की अवधि हेतु उसी बैंक का सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षक (SCA) नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा। यह निदेश निजी क्षेत्र के कुछेक ऐसे बैंकों में पाई गई भिन्नता के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो जाता है, जिन्होंने वित्त वर्ष 16 में केंद्रीय बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा पाई गई अनर्जक आस्तियों की तुलना में अपनी बहियों में काफी कम अनर्जक आस्तियां दर्शाई थीं। इसलिए विराम एवं आवर्तन नीति को अनिवार्य बना दिया गया है, ताकि बहियों का नए सिरे से परीक्षण किया सके, क्योंकि नई टीम द्वारा किसी बैंक में इन मुद्दों की एक भिन्न परिप्रेक्ष्य से जांच किए जाने की संभावना है।

सेबी ने कारपोरेट बांड बाजार के लिए नयी रूपरेखा जारी की

कारपोरेट बांड बाजार को गहन बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ऋण प्रतिभूतियों में समेकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्याओं (ISINs) की संख्या को न्यूनतम करने के संबंध में नयी रूपरेखा जारी की है। नयी रूपरेखा के तहत किसी

जारीकर्ता को प्रत्येक वित्त वर्ष में परिपक्व होने वाली अधिकतम 17 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्याओं तथा सादी (प्लेन वनीला) ऋण प्रतिभूतियों के मामले में अधिकतम केवल 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्याओं की अनुमति होगी। कोई संस्था/कंपनी किसी विशिष्ट श्रेणी वाले संरचित ऋण लिखतों के मामले में प्रत्येक वित्त वर्ष में पाँच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्याओं तक जारी कर सकती है।

सेबी अपने ग्राहक को जानिए के उद्देश्य से ई-पैन कार्ड स्वीकार करेगा

अब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को अपने ग्राहक को जानिए उद्देश्यों के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को जारी एक इलेक्ट्रानिक पैन कार्ड अर्थात ई-पैन कार्ड स्वीकार्य होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ई-पैन कार्ड सुविधा की शुरुआत इस वर्ष अप्रैल में की थी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को उनकी जोखिम प्रोफाइल और अपने ग्राहक को जानिए की अपेक्षा के अनुसार तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये मानदंड विभिन्न विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मार्गों को युक्तियुक्त बनाने तथा अधिक विदेशी निधियाँ आकर्षित करने के लिए कार्यविधियों को सरल बनाने के उद्देश्य से जारी किए गए थे।

सेबी ने सरकारी ऋण के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की निवेश सीमा बढ़ाई

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी निधियों के अंतर्वाह को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों (G-secs) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा (पूर्ववर्ती 1.85 लाख करोड़ रुपए से) बढ़ा कर 1,87,700 करोड़ रुपए कर दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने दीर्घावधि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (सावरेन सम्पदा निधियों, बीमा निधियों, पेंशन निधियों तथा विदेशी केंद्रीय बैंकों) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा भी संशोधित करके 46,099 करोड़ रुपए के स्थान पर 54,300 करोड़ रुपए कर दी है। उक्त मुहिम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई-सितंबर की तिमाही के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश की सीमा संशोधित किए जाने के अनुरूप है।

सेबी ने डिबेंचर न्यासी मानदंड संशोधित किए

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने डिबेंचर न्यासियों (DTs) के लिए नए विनियम जारी किए हैं, जिनमें जारी किए गए डिबेंचरों के लिए सरकार द्वारा गारंटी दिये जाने पर किसी संस्था/कंपनी को न्यासी के रूप में कार्य करने से निषिद्ध नहीं किया जाएगा। कंपनी द्वारा (डिबेंचर न्यासी को देय परिश्रमिक को छोडकर) भुगतान की जाने वाली धनराशि का लाभकर रीति से पात्र होने पर, कंपनी के प्रति ऋणग्रस्त होने अथवा उसकी सहायक, नियंत्रक अथवा सहयोगी कंपनी द्वारा डिबेंचरों द्वारा प्रतिभूत मूल ऋणों के संबंध में कोई गारंटी दिये जाने पर अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के किसी प्रवर्तक का संबंधी होने पर किसी व्यक्ति को डिबेन्च्रर न्यासी नहीं नियुक्त किया जा सकता।

सेबी ने ऋणों के संबंध में बैंकों से अतिरिक्त प्रकटन करने के लिए कहा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों की अनर्जक आस्तियों के रूप में अधिक समान रूप से पहचान करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सूचीबद्ध बैंकों से आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण में भिन्नता के संबंध में शेयर बाज़ारों को एक निर्धारित आरूप में अतिरिक्त प्रकटन करने के लिए कहा है। बैंकों को जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रावधानीकरण आवश्यकता संदर्भाधीन अवधि के लिए निवल लाभ के 15% से अधिक हो, वहाँ उसे प्रकट करना होगा। इस प्रकार के प्रकटन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को इसप्रकार की भिन्नता की सूचना दिये जाने के तत्काल बाद वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ किए जाने चाहिए।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश : हानियों से बचने के लिए धोखाधडी की सूचना तीन दिनों में दें

अनधिकृत लेनदेनों से ग्राहकों के खातों/कार्डों में होने वाली नामे प्रविष्टियों से संबन्धित ग्राहक परिवादों में आए उछाल के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने अनधिकृत इलेक्ट्रानिक बैंकिंग लेनदेनों में ग्राहकों के दायित्व को सीमित करते हुए ग्राहक संरक्षण के संबंध में सशोधित निदेश जारी किए हैं, ग्राहकों से अनधिकृत बैंकिंग लेनदेनों की सूचना उनके बैंकों को घटना होने के तीन दिन

के भीतर देने के लिए कहा गया है। उलझी रकम संबन्धित खातों में 10 दिनों के भीतर जमा कर दी जाएगी, इसप्रकार ग्राहक को होने वाली हानियों से बचा जा सकेगा। अन्य पक्ष धोखाधड़ी की सूचना चार से सात कार्य-दिवसों की देरी से दिये जाने की स्थिति में किसी ग्राहक को 25,000 रुपए तक की देयता का सामना करना होगा। हालांकि, उक्त हानि (भुगतान के प्रमाण दिये जाने जैसी) खाता-धारक की लापरवाही के कारण होने पर जब तक अनधिकृत लेनदेन की सूचना बैंक को नहीं दी जाती, सम्पूर्ण हानि ग्राहक को वहन करनी होगी। अनधिकृत लेनदेन की सूचना दिये जाने के बाद होने वाली कोई भी हानि बैंक द्वारा वहन की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अन्य पक्ष द्वारा ऐसा व्यवधान उत्पन्न किए जाने की स्थिति जिसमें कमी न तो बैंक की ओर से है न ही ग्राहक की ओर से, अपितु वह प्रणाली में अन्यत्र निहित है, ग्राहक का दायित्व शून्य होगा। शून्य दायित्व उस ग्राहक के मामले में भी लागू होगा जहां अनधिकृत लेनदेन की घटना (इस बात पर ध्यान दिये बिना कि ग्राहक द्वारा लेनदेन की रिपोर्ट की गई है या नहीं) अंशदायी धोखाधड़ी/बैंक की ओर से लापरवाही/कमी के कारण हुई है। धोखादड़ी की सूचना सात दिन के बाद दिये जाने पर ग्राहक के दायित्व का निर्धारण बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाएगा। ऐसे मामलों में बचत बैंक खाते वाले ग्राहक का अधिकतम दायित्व 10,000 रुपए होगा।

विनियामकों के कथन

सार्वजनिक ऋण डाटाबेस की स्थापना

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डा॰ विरल आचार्य ने भारत की ऋण संस्कृति सुधारने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया है कि शीर्ष बैंक को भारत के लिए ऋण सूचना के एक सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री, ऐसे व्यापक डाटाबेस का गठन करना चाहिए जो सभी हितधारकों के लिए अभिगम्य हो। उक्त रजिस्ट्री का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक अथवा बैंकिंग पर्यवेक्षक जैसे सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है और ऋणदाताओं तथा/अथवा उधारकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री को ऋणों के विवरणों की रिपोर्टिंग कानून द्वारा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। इससे एक विशाल डाटाबेस में उधारकर्ता (विशेषत: उसकी उधार संविदाओं और उसके परिणामों के सम्पूर्ण सेट) के संबंध में सभी प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री से बैंकों द्वारा ऋण निर्धारण एवं मूल्य-निर्धारण किए जाने, बैंकों में जोखिम-आधारित, गतिशील और प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण, विनियमकों द्वारा पर्यवेक्षण तथा समय-पूर्व हस्तक्षेप, दबावग्रस्त ऋणों की प्रभावी पुन: संरचना करने में सहायता

मिलेगी तथा यह समझने में मदद मिलेगी कि मौद्रिक नीति के प्रेषण का कार्य आगे बढ़ रहा है या नहीं और उसमें आने वाली अडचने कौन सी हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देना अच्छा व्यवसाय है

भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व उप गवर्नर श्री एस॰ एस॰ मूंदड़ा ने बैंकों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अर्जन की संभाव्यता के कारण बेहतर व्यवसाय के अवसर के लिए उस क्षेत्र पर ध्यान देने की शुरुआत करने हेतु कहा है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋणों में उन ऋणों का समावेश है जो कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, वहनीय आवास तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे खंडों को दिये जाते हैं।

बीमा

बीमाकर्ताओं को पालिसियों में अपवर्जनों का उल्लेख करना चाहिए : इर्डाई

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी बीमाकर्ताओं के लिए इन उत्पादों की अप-बिक्री रोकने के उद्देश्य से किसी पालिसी से संबन्धित सभी अपवर्जनों को वर्गीकृत किया जाना अनिवार्य कर दिया है। दावों का निपटान निर्धारित समय के भीतर न होने पर बीमाकर्ता पालिसी धारक को बैंक दर से 2% अधिक के दंडस्वरूप प्रभार का भुगतान करने हेतु उत्तरदाई होंगे। सभी पालिसियों में लागू होने वाले मानक अपवर्जन, जिनसे छूट नहीं मिल सकती, ऐसे पालिसी विशिष्ट अपवर्जन तथा ऐसे विशिष्ट अपवर्जन जिनसे अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके छूट मिल सकती है, उन सभी से पालिसी धारकों को प्रारम्भ में ही अवगत करा दिया जाना चाहिए।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री राजकिरण राय जी॰	यूनियन बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त

श्री केवल हांडा	यूनियन बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री विक्रम लिमये	राष्ट्रीय शेयर बाजार (N S E) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिसके साथ गठजोड़ हुआ वह संगठन	उद्देश्य
ऐक्सिस बैंक	इंटर-अमेरिकन इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन (IIC)	लातीनी अमेरिका और कैरीबियाई देशों के साथ व्यापार को सुगम बनाना।
बैंक आफ बड़ौदा	लारेंसडेल ऐग्रो प्रोसेसिंग इंडिया प्रा॰ लिमिटेड अर्थात LEAF	एलईएएफ द्वारा अधिप्राप्त की जाने वाली बनस्पतियों और फलों की आपूर्ति में संलग्न किसानों, कंपनियों और अन्य सहयोगी पक्षकारों का वित्तीयन करना।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	28 जुलाई, 2017 के दिन बिलियन रुपए	28 जुलाई, 2017 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	25,209.9	3,92,867.8
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	23,651.4	3,68,759.0
(ख) सोना	1,317.4	20,349.3
(ग) विशेष आहरण अधिकार	95.9	1,495.6
(घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	145.2	2,263.9

अगस्त, 2017 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.45000	1.59700	1.70100	1.81300	1.90500
जीबीपी	0.39990	0.6015	0.6933	0.7952	0.8920
यूरो	-0.24150	-0.152	-0.018	0.128	0.280
जापानी येन	0.03630	0.055	0.069	0.093	0.119
कनाडाई डालर	1.62000	1.650	1.784	1.889	1.975
आस्ट्रेलियाई डालर	1.80500	1.920	2.060	2.320	2.440
स्विस फ्रैंक	-0.59000	-0.512	-0.399	-0.281	-0.165
डैनिश क्रोन	-0.04530	0.0499	0.1920	0.3314	0.4905
न्यूजीलैंड डालर	2.04110	2.225	2.421	2.604	2.768
स्वीडिश क्रोन	-0.41300	-0.213	0.005	0.240	0.468
सिंगापुर डालर	1. 04500	1.260	1.440	1.600	1.735
हांगकांग डालर	1.06000	1.270	1.450	1.590	1.710
म्यामार	3.51000	3.600	3.660	3.720	3.780

शब्दावली

डिबेंचर न्यासी (DT)

डिबेंचर न्यासी से तात्पर्य है किसी कारपोरेट निकाय के डिबेंचरों के किसी निर्गम को प्रतिभूत करने हेतु किसी न्यास विलेख का न्यासी।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

मूल्य की तुलना में ऋण (LTV) अनुपात

मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात ऋणदाताओं द्वारा खरीदी गई आस्ति के मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त एक वित्तीय पद है। मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात जितना अधिक होगा किसी ऋणदाता के लिए ऋण उतना ही अधिक जोखिमपूर्ण होगा।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अगस्त / सितंबर, 2017 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	स्थान
1	खुदरा ऋण	4 से 7 सितंबर, 2017	मुंबई
2	डिजिटल बैंकिंग	6 से 8 सितंबर, 2017	मुंबई
3	प्रमाणित ऋण अधिकारी	22 से 26 अगस्त, 2017	चेन्नै
4	डिजिटल बैंकिंग	28 से 30 अगस्त, 2017	चेन्नै
5	व्यापार वित्त	4 से 6 सितंबर, 2017	चेन्नै
6	इंड ऐज़	16 से 19 अगस्त, 2017	कोलकाता
7	वसूली प्रबंधन	4 से 6 सितंबर, 2017	कोलकाता

संस्थान समाचार

बैंकों में क्षमता निर्माण - एक और पाठ्यक्रम बढ़ाया गया

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 11 अगस्त, 2016 की अपनी अधिसूचना के तहत यह अधिदिष्ट किया है कि प्रत्येक बैंक के पास परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों में यथोचित योग्यता/प्रमाणन वाले कर्मचारियों को अभिनियोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए। प्रारम्भ में उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है :

1. खजाना प्रबंधन : व्यापारी, मिड कार्यालय परिचालन
2. जोखिम प्रबंधन : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-वार जोखिम, सूचना सुरक्षा, चलनिधि जोखिम
3. लेखांकन : वित्तीय परिणामों को तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य
4. ऋण प्रबंधन : ऋण मूल्यांकन, श्रेणी-निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन

तत्पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर भारतीय बैंक संघ ने ऐसी उपयुक्त संस्थाओं और पाठ्यक्रमों की पहचान करने के लिए जो आवश्यक प्रमाणन प्रदान कर सकें एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। उक्त समूह, जिसने अपनी रिपोर्ट मार्च, 2017 में प्रस्तुत की, की रिपोर्ट पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के आधार पर भारतीय बैंक संघ ने

दिनांक 26अप्रैल, 2017 के अपने पत्र के अधीन सदस्य बैंकों को उन संस्थाओं के नाम सूचित किए थे जो केंद्रीय बैंक द्वारा इसके ऊपर वर्णित क्षेत्रों में प्रमाणन प्रदान करने की पात्र हैं।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स उनमें से एक तथा एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात चार में से तीन क्षेत्रों में प्रमाणन प्रदान करता है।

आपके तात्कालिक अवलोकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किए गए तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा बैंकों को सूचित किए गए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम इसके नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं :

क्रम संख्या	वे क्षेत्र जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणन अभिज्ञात किया गया है	प्रमाणन प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक /भारतीय बैंक संघ द्वारा अभिज्ञात आईआई बीएफ द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम
1	खजाना परिचालन - व्यापारी, मिड आफिस परिचालन	प्रमाणित खजाना व्यापारी (मिश्रित पाठ्यक्रम - आनलाइन परीक्षा एवं प्रशिक्षण)
2	जोखिम प्रबंधन - ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-वार जोखिम, सूचना सुरक्षा, चलनिधि जोखिम	वित्तीय सेवाओं में जोखिम- चार्टर्ड इंस्टीट्यूट फार सिक्योरिटीज एण्ड इनवेस्टमेंट (CISI), लंदन के सहयोग से
3	ऋण प्रबंधन - ऋण मूल्यांकन, श्रेणी-निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन	प्रमाणित ऋण अधिकारी (मिश्रित पाठ्यक्रम - आनलाइन परीक्षा एवं प्रशिक्षण)
4	लेखांकन : वित्तीय परिणामों को तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स एक पाठ्यक्रम शीघ्र ही आरंभ करेगा
5	विदेशी मुद्रा	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है।

संस्थान द्वारा उपर्युक्त विषयों के लिए परीक्षा सामान्यतया छः माह में एक बार आनलाइन मोड के जरिये देशभर में स्थित 130 से अधिक केन्द्रों में आयोजित की जाती है। हालांकि, बैंकों एवं अभ्यर्थियों के लाभार्थ इन तीन पाठ्यक्रमों के लिए इसके नीचे दिये गए कार्यक्रम के अनुसार एक अतिरिक्त परीक्षा का आयोजन किया जाएगा :

परीक्षा	परीक्षा की तिथि	पंजीकरण के लिए खुली अवधि

प्रमाणित खजाना व्यापारी और प्रमाणित ऋण अधिकारी	29-10-2017 (रविवार)	15-08-2017 से 14-09-2017 तक

चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार

संस्थान को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू॰ के॰ के साथ पारस्परिक मान्यता करार हस्ताक्षरित होने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस करार के अधीन भारत स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट बाफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी (CAIIB) अपनी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दिलवाएँगे तथा वे संस्थान के व्यावसायिकता, आचारशास्त्र एवं विनियम माड्यूल का अध्ययन करके और परावर्तक दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करके चार्टर्ड बैंकर बनने में समर्थ होंगे।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन

संस्थान ने सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों के लिए प्रमाणित ऋण परामर्शी (CCC) कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 11 जुलाई, 2017 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के साथ एक भागीदारी करार किया। प्रमाणित ऋण परामर्शी बनने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स द्वारा संचालित सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों पर एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उक्त परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेने पर तथा उसके बाद भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संचालित समुचित सावधानी जांच पूरी कर लेने के बाद अभ्यर्थी को प्रमाणित ऋण परामर्शी के रूप में एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नयी पाठ्यसमग्री

संस्थान ने 29 अप्रैल, 2017 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अपनी नयी पाठ्यसामग्री की शुरुआत की। उक्त पुस्तक बैंकिंग भ्रातृसंघ के उद्योग विशेषज्ञों द्वारा जारी की गई। इस विषय पर पहली परीक्षा जनवरी, 2018 में आयोजित की जाएगी।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंकों के लिए निर्धारित विषय-वस्तुयें निम्नानुसार हैं :

विमुद्रीकरण के उपरांत बैंकों पर प्रभाव/ उनके लिए चुनौतियाँ– जुलाई - सितंबर, 2017
सूक्ष्म अनुसंधान आलेख- 2017: अक्तूबर - दिसंबर, 2017

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने -आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से निराकरण करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :

)i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दे।

आईआईबीएफ विजन के स्वामित्व और अन्य विवरणों से संबन्धित वर्णन
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का जर्नल

1॰ प्रकाशन स्थल : मुंबई

2. प्रकाशन की आवधिकता : मासिक
3. प्रकाशक का नाम : डा॰ जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1,
किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
4. संपाद्क का नाम : डा॰ जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1,
किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
5 प्रिन्टिंग प्रेस का नाम : आनलुकर प्रेस, 16 सासून डाक, कोलाबा,
मुंबई- 400 005
6. स्वामियों के नाम एवं पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1,
किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070

मैं, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र, एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

31.03.2017 डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र
प्रकाशक के हस्ताक्षर

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 6928/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6.1
6.05
6.
5.95
5.9

5.85
5.8

फरवरी,2017, मार्च, 2017, अप्रैल, 2017, मई, 2017, जून, 2017, जुलाई, 2017
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, जुलाई, 2017

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

90
80
70
60
50

मार्च, 2017, अप्रैल, 2017, मई, 2017, जून, 2017, जुलाई, 2017
स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

8
6
4
2
0

फरवरी, 2017, मार्च, 2017, अप्रैल, 2017, मई, 2017, जून, 2017
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई, 2017

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

33000
32000
31000
30000
29000
28000
27000
26000

मार्च, 2017, अप्रैल, 2017, मई, 2017, जून, 2017, जुलाई, 2017
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE(

समग्र जमा वृद्धि %

13
12
11
10
9
8
फरवरी, 2017, मार्च, 2017, अप्रैल, 2017, मई, 2017, जून, 2017
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई, 2017

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई - 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन अगस्त, 2017